न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–940 / 2026
आशुतोष कुमार उर्फ रत्नेश कुमार वगैरह बनाम् बिहार सरकार
लालगंज थाना कांड संख्या–271 / 2025
अधीन धारा–126, 115(2), 118, 109, 75, 329(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

26.05.2026 लालगंज थाना कांड संख्या–271 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126, 115(2), 118, 109, 75, 329(3), 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदकगण **आशुतोष कुमार उर्फ रत्नेश कुमार उम्र–30 वर्ष पेसर–उपेन्द्र सिंह, आशुतोष रंजन उम्र–21 वर्ष पेसर–रणधीर कुमार सिंह, आशु कुमार उम्र–24 वर्ष पेसर–स्व0 अमोद कुमार सिंह एवं रणधीर कुमार सिंह उम्र–50 वर्ष पेसर–लक्षमण सिंह** सभी साकिन–मधुरापुर कुशदे, थाना–लालगंज जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता **श्री देवेन्द्र ठाकुर** तथा विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबु राय** को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 01 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक है कि, दिनांक–29.05.2025 को समय करीब 02.00 बजे दिन में सूचक अपने वर्तमान निवास मधुरापुर कुशदे में अपने घर पर था। उसी वक्त आशुतोष कुमार उर्फ रत्नेश कुमार, आशुतोष रंजन, आशु कुमार, रणधीर कुमार सिंह एवं चार अज्ञात व्यक्ति दारू के नशे में सूचक के दुकान पर आये। सभी हाथ में लिए लाठी–डंडा, लोहे के गड़ासा, हसुआ एवं पिस्तौल लेकर सूचक के घर के दुकान पर चढ़ गये और गाली देने लगे। गाली देने से मना करने पर रणधीर सिंह ने आदेश दिया कि साले को जान से मार दो, जिस पर आशुतोष कुमार उर्फ रत्नेश कुमार अपने हाथ में लिए गड़ासा से जान मारने की नियत से माथा पर चलाया, जिससे सूचक का सर कट गया। आशुतोष रंजन कुमार उर्फ पिंकु हाथ में लिए हसुआ से गर्दन पर चलाया, जिससे सूचक डर गया तो हसुआ के पिछला भाग से सूचक के बाह में चोट आया। पुनः आशु कुमार अपने हाथ में लिए लाठी से सूचक के पुरे शरीर पर मारपीट किया। हल्ला सुनकर सूचक की पत्नी कल्पना सिंह आयी तो उसे बुरी नियत से साड़ी खिंचकर नीचे गिरा दिया, जिससे सूचक की पत्नी बेलग्न हो गई। सूचक किसी तरह जान बचाकर अपना ईलाज हेतु सदर अस्पताल, हाजीपुर गया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा उन्हें इस मामले में झुठा फंसाया गया है। संपूर्ण अभियोजन मामला असत्य और बनावटी व मनगढ़न्त है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह हो चुका है। विद्वान अधिवक्ता

Web copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–940 / 2026

आशुतोष कुमार उर्फ रत्नेश कुमार वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार
26.05.2026

का आगे कथन है कि आवेदकगण के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा–109 का आरोप नहीं बनता है। निवेदित है, आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिस पर लाठी–डंडा, लोहे के गड़ासा, हसुआ एवं पिस्तौल लेकर लैश होकर सूचक के घर के दुकान पर चढ़कर गाली–गलौज करने, गड़ासा से सूचक का सर काट देने, हसुआ से सूचक के बाह पर मारने एवं सूचक की पत्नी कल्पना सिंह का साड़ी खिंचकर उसे बेलग्न कर देने का आरोप है_जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 05, 06 एवं 07 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। लेकिन उक्त साक्षियों द्वारा इस बात समर्थन नहीं किया गया है कि किस अभियुक्त द्वारा सूचक के सर को गरासा से काटा गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 25 में साक्षी कल्पना सिंह जो सूचक की पत्नी है, का बयान अंकित है जिसमें वह कही है कि उसके पति के साथ चार–पांच आदमी मारपीट किया था। किसी व्यक्ति का नाम उसे याद नहीं है। साथ ही कल्पना सिंह द्वारा ईलाज के संबंध में लिखकर दिया गया है, जिस पर उसका हस्ताक्षर एवं मोबाईल नंबर अंकित है जिसमें यह उल्लिखित है कि दिनांक–29.05.2025 को लड़ाई–झगड़ा के क्रम में उसे हल्का–फुल्का चोट लगा था तो स्थानीय दवा दुकान से दवा लेकर खाकर ठीक हो गई। वह किसी भी सरकारी या प्राईवेट अस्पताल में भर्ती होकर ईलाज नहीं करवायी थी। कांड दैनिकी की कंडिका 26 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सूचक से संपर्क कर उसके ईलाज के संबंध में एक्स–रे प्लेट एवं सिटी स्कैन रिपोर्ट का मांग किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वह अपना ईलाज सदर अस्पताल में कराए थे जिसमें चिकित्सक द्वारा सीटी स्कैन एवं एक्स–रे के लिए लिखे थे परंतु वह अपना सीटी स्कैन एवं एक्स–रे नहीं कराया था, दवा खाकर ही ठीक हो गया था। कांड दैनिकी के साथ जख्मी चंदन कुमार सिंह का जख्म प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न है जिसमें चिकित्सक द्वारा उसके जख्म को कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म साधारण प्रकृति का पाया गया है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–940 / 2026

आशुतोष कुमार उर्फ रत्नेश कुमार वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

26.05.2026 उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदकगण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदकगण को 10,000 / –(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official